


आदेश :-

चिकित्साकीय सेवाओं को सुचारुत्व प्रदान करने एवं प्रशासनिक कारणों से लोकहित में निम्नांकित वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-11/ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पद	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन स्थान	विवरण
1	डॉ जगदीश सेवदा	वरिष्ठ होम्यो. चिकित्साधिकारी ग्रेड-11	राज.होम्यो.ओप. हरिजन बस्ती, बीकानेर से स्थानान्तरणार्थी	राज.होम्यो.ओप. देशनोक-बीकानेर	रिक्त पद पर
2	डॉ नीलाम गोस्वामी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. किशनगढ़-अजमेर	राज.होम्यो.चिकि. फागी-जयपुर	डॉ रविन्द्र मोणा के स्थान पर
3	डॉ रविन्द्र मोणा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. फागी-जयपुर	राज.होम्यो.चिकि. किशनगढ़-अजमेर	डॉ नीलाम गोस्वामी के स्थान पर
4	डॉ अनिल भिगतानी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. बाननिया-चूरु	राज.होम्यो.चिकि. रायसिंह नगर-श्रीगांगनगर	डॉ. राजवीर कौर स्याग के स्थान पर
5	डॉ राजवीर कौर स्याग	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. रायसिंह नगर-श्रीगांगनगर	जिला चिकि. चूरु	रिक्त पद पर (प्रभावित)

नोट:-

- उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, प्रभावित हैं, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो, तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो, तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करें।
- जिन जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के एवं विधानसभा चुनाव, 2021 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हैं, वहां पर निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

आज्ञा से

 (आर.रु.शर्मा)
 उपशासन सचिव

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।

- निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को निर्देशानुसार प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश पर किसी कार्मिक द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन या अन्य आदेश प्राप्त किये जाते हैं, तो प्रथमतः राज्य पक्ष को त्वरितता से रख कर किसी भी स्थगन/अन्य आदेश को राज्य पक्ष में निस्तारित कराया जावे, यदि फिर भी कोई स्थगन या अन्य आदेश पारित होता है, तो निदेशालय/शासन स्तर से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावें, ताकि दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न नही हो। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि उक्त में से किसी अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय/अधिकरण से स्थगन प्राप्त किया जाता है, तो निदेशालय/शासन की बिना पूर्व अनुमति के कार्य ग्रहण करवाये जाने पर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।
- संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मार्फत निदेशक, होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव


राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1 / हो.चि. / पदस्थापन / स्था. / 2021 / 6951-55

दिनांक:-29/03/21

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ. 10(1)आयु./2019 पार्ट, जयपुर, दिनांक 29.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
4. विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
5. सम्बन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी./ जिला अस्पताल
6. सम्बन्धित प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकि/औष./मोबाईल यूनिट/ पी.एच.सी./सी.एच.सी.को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावे।
7. सम्बन्धित, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1A/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
8. कार्यालय की लेखा शाखा/कैश/विधि /सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यिकी शाखा।
9. रक्षित पत्रावली।


(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक